पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-17 सोमवार, दिनांक-06 अप्रील, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.27 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 38 तारांकित प्रश्न अनागत ।

''विपक्ष के सभी मा० सदस्यगण वेल में बैठे हुए थे ।

मा० मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विपक्ष के मा० सदस्यों द्वारा वेल में बैठकर रास्ता रोकने की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है ।

मा० सदस्य, श्री सदानन्द सिंह ने आसन से अनुरोध किया कि सदन को व्यवस्थित करने के लिए एक बैठक बुलाकर गतिरोध को दूर करने का पहल किया जाना चाहिए ।

मा० सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने भी आसन से अनुरोध किया कि सदन को पहले व्यवस्थित किया जाए और विपक्ष के कार्रवाई को अनुचित बताया ।

मा मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने बतलाया कि लोकतंत्र में बातचीत से हल निकालना ही श्रेयस्कर होता है । उन्होंने कहा कि यह घटना अशोभनीय एवं दुखद है तथा ऐसी घटनाएँ परम्परा के अनुरूप नहीं है ।''

''इस दौरान आसन से बार-बार विपक्ष के सभी मा० सदस्यों खासकर नेता, विरोधी दल से अपनी-अपनी सीट पर जाने एवं सीट पर जाकर अपनी बात को कहने का अनुरोध किया गया । आसन से यह भी कहा गया कि नियमानुसार विपक्ष के मा० सदस्यों की बातों को आसन अवश्य सुनेगा, किन्तु सदन के वेल में ही विपक्ष के मा० सदस्यगण बैठे रहे ।

तदुपरांत आसन से घोषणा की गयी कि सदन के स्थगनोपरांत तुरंत मेरे कार्यालय कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

समय- 02.00 बजे अप० से 05.00 बजे अप० तक

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

''आसन से घोषणा की गई कि मा० सदस्यगण, किसी तकनीकी कारणों से मा० नेता प्रतिपक्ष का माईक दिनांक 01 अप्रील, 2015 को यदि बंद हुआ था तो हम इसको दिखला लेंगे ।''

[2] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

आज दिनांक-06 अप्रील, 2015 को सम्पन्न हुई कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सदन की सहमति हुई ।

[3] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग) पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्री श्याम रजक द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य डा० अच्युतानंद द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुदान की माँग पर विचार विमर्श हेतु कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा ।

(इस अवसर पर मा० अध्यासी सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने आसन ग्रहण किया)

अनुदान की माँग तथा कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री डा० अरूण कुमार
(ii) श्री विक्रम कुँवर
(iii) श्री मनोहर प्रसाद सिंह
(iv) श्री कृष्णनंदन पासवान
(v) श्री उमाकान्त यादव
(vi) श्री राम सूरत राय
(vii) श्री प्रदीप कुमार
(viii) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

(मा० अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(ix) श्री दिनेश कुमार सिंह
(x) श्री रत्नेश सादा

मा० प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्री श्याम रजक द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

''उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के सभी मा० सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।''

तदुपरांत सदन द्वारा मा० सदस्य डा० अच्युतानंद का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[4] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 16 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 07 अप्रील, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-06 अप्रील, 2015

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।